कार्यालय, भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास परियोजनायें, जयपुर।
(जयपुर विकास प्राधिकरण - भवन)

क्रमांक:भू.अ./नवि./91/------ दिनांक------

विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कृत्यों के निर्वहन व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम मानावाला में भूमि अवाप्ति बाबत। (पृथ्वीराज नगर योजना)

मुकदमा नम्बर:-

1- 649/88	17. 677/88
2. 652/88	18. 680/88
3. 653/88	19. 682/88
4. 654/88	20. 683/88
5. 655/88	21. 686/88
6. 656/88	22. 687/88
7. 659/88	23. 688/88
8. 662/88	24. 689/88
9. 665/88	25. 690/88
10. 667/88 एवं 704/88	26. 692/88
11. 668/88	27. 695/88
12. 669/88	28. 696/88
13. 670/88	29. 697/88
14. 671/88	30. 700/88
15. 673/88	31. 702/88
16. 674/88	32. 672/88
	33. 694/88

:: अ वा र्ड ::

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि की अवाप्ति हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 (1984) का केन्द्रीय अधिनियम संख्या - 1 (की धारा -4(1) के तहत क्रमांक प-6(10)नविआ/11/87 दि. 6.1.1988 तथा गजट प्रकाशन राजस्थान राजपत्र 7 जुलाई, 1988 को कराया गया।

भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा 5 ए की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने के उपरान्त राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा- 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा-6 का गजट प्रकाशन क्रमांक प-6 (10) नविआ/3/87 दिनांक 28.7.89 का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र 31 जुलाई, 1989 को किया गया।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा -6 का गजट प्रकाशन कराया गया उसमें ग्राम मानपावाला तहसील जयपुर, में अवाप्तिधीन भूमि की स्थिति इस प्रकार बताई गई है।

-------क्रमशः-------

क्र.सं.	मुकदमा नं0	ख.नं.	अवाप्त भूमि का रकबा बि. वि	खातेदार/हितदारान के नाम
1.	649/88	280	00-03	मंगला पु. रामु 3/16 गुल्ला, बद्री पु. चन्दा 3/16 नाथू पु. भौरया, नारायण, जगदीश, रामेश्वर पु. नंनदा, रमसी पु. बाबुलाल, पु. प्रभु 3/16 जगदीश, मन्नालाल पि. डालु, नारायण कल्याण, गोपाल पि. मोती, महादेव पु. कुशला 3/16 लादू, भगवाना, नेन्चा पि. चन्दा, नारायण छोटू केलाश राधेश्याम पि. सात्या 1/2 जगदीश पु. जगन्नाथ हि. 1/4 मीना सा. देह.
		280/477	00-05	मंगला कौरह ब.न. 280
2.	652/88	288	3-12	नारायण पु. मोती 1/2 डालु पि. कुशला 1/2
3.	653/88	290	01-13	जगदीश पु. जमसी कौम मीना सा. जयपुर
		290/449	00-01	रमसी पुत्र हुकमा, बाबुलाल पु. प्रभु 1/3 नारायण, जगदीश, रामेश्वर पि. नन्दा 1/3 नाथू पु. भौरया 1/3 मीणा
4.	654/88	292	00-15	रामसहाय, पु. नन्दा, जगन्नाथ पु. नारायण जाति मीना सा. देह
		302	01-06	ब0 न0 292
5.	655/88	293	00-15	सीताराम, हनुमान पि. रामनाथ मीना सा. देह
		300 मिन	01-07	" " " "
6.	658/88	395	01-07	श्रवण, सावता, नेनु, गोपाल पि. रूपा मीना
7.	659/88	303	01-15	बाबु, श्यामलाल, सुन्दरबंशी, गोपी पि. गुल्ला
8.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	कौम माली सा. देह
8.	662/88	314	01-19	बोदू पु. रामदेव कौम ब्राह्मण सा. देह
		315	02-13	उपरोक्त
		316	00-19	"
		316/453	01-03	"

क्रमशः---2/पर---

1.	2.	3.	4.	5.
9.	665/88	323	03-04	हरनंदा पु. साधु,सावता, रामेश्वर,रामनारायण पि.भगवाना,बाबुलाल पु.महादेव मु.सं.माता पार्वती जाति मीना सा.देह.
		363	02-02	हरदेव पु.साधु,सावता, रामेश्वर पि. रामनारायण पि.भगवाना,बाबुलालपु.महादेव मु.संरक्षक माता पार्वती जाति मीना सा.देह
		368	00-18	ब0 न0 363
10.	667/88	328 मिन	00-05	रामेश्वर दत्तक पु.लादू ,लालु पु.नाथु
		341	01-05	कौम मीना सां.देह
		344	01-12	
		357	2-11	
		376मिन	1-00	
		380	1-10	
		362/462	1-01	
		362/463	3-00	
		360/460	5-00	
		~~350~~		
11.	668/88	330	3-05	गोविन्दराम.घीसालाल,पि.भोगिया 1/8 प्रताप,गंगासहाय,नारायण,दामोदर,बोदूराम पि.जगन्नाथ 1/2,कालुमपु.रमला 1/8 लादू पु. रणजोत 1/4 मीना
12.	669/88	332	1-17	कल्याण पु.सावता, रामचन्द्र पु.गंगाबक्स कौम मीना सा.देह
13.	670/88	335	1-13	श्रवण पु.जीता 1/2 नानूलाल,रूपनारायण पि.सोन्या 1/2 मीना सा.देह
		365/474	00-02	श्रवण पु. जीता मीणा
14.	671/88	336	1-03	गोविन्दराम.घासीलाल पि भेरू कालु पु.रामला 1/2 लादू पु.रणजोत 1/2 मीना सा.देह.

1.	2.	3.	4.	5.
	007	339	1-07	गोविन्दराम वगैरह ख•न•336
15.	673/88	340	1-08	प्रताप गंगासहाय नारायण दामोदर बोदूराम पिता जगन्नाथ मीणा सा•देह
		336/457	1-04	" " "
16.	674/88	369	0-14	कल्याण पु• सांवता रामचन्द्र पुत्र गंगाबक्स
		370	0-08	मीना सा• देह
17.	677/88	349	0-12	मूंगला रामकंवर पिता श्योदान
		350	0-04	" "
		351	1-06	" "
18.	680/88	361	00-01	सांवता रामेश्वर रामनारायण पि• भगवाना बाबूलाल पु•महादेव हरनंदा पुत्र साधू 1/4 रामचन्द्र पुत्र श्योबक्स 3/8 रामचन्द्र पु•गंगाबक्स 1/8 भोरिया पु•रामपाल मिना 1/4
19.	682/88	365	00-04	नानूलाल रूपनारायण पि• सोन्या 1/2 गिरधारी पुत्र लक्ष्मण मीना 1/2 सा• देह
20.	683/88	366	01-01	श्रवण पु• जीता मीना सा• देह
		374 मिन	00-06	" "
21.	686/88	379	02-01	श्रवण पु• जीता 1/6 नानूलाल रूपनारायण पिता सोन्या 1/6 गिरधारी पु• लक्ष्मण 1/6 रामचन्द्र पु• गंगाबक्स 1/6 श्रवण पु•जीता 1/12 श्योदान पु• रामदेव 1/12 कल्याण पु•सांवता 1/6 मीना•
		380/467	04-05	" "
		380/468	08-00	" "
22.	687/88	391 मिन	04-00	नारायण पुत्र गणेश 1/4 हनुमान पु•नानगा 1/4 कानू पु•श्योनंनदा 1/4 जगदीश पु•घासी 1/4 मीना
		392	03-02	लादू पुत्र गणेश 1/4 कालू पुत्र श्योचन्दा 1/4 जगदीश पु• घासी 1/4 कल्याण पु•सालगा 1/4 मीना

सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी जयपुर

----4/पर----

1.	2.	3.	4.	5.
23.	688/88	393	02-17	लादू पुत्र गणेशा मीना सा. देह
24.	689/88	394	17-03	जयराम पु. जुगल 1/3 सेडया पु. गंगाराम 1/3 घासी पु. तुलसा 1/3 ब्राहमण सा. देह
		402 मिन	0-16	डालू ग्यारसा व छोटू पि. रामदेव मीना सा. देह
		413 मिन	00-14 ~~01-08~~	जयराम पु. जुगल 1/3 घासी पु. तुलसा 1/3 ब्रा.
25.	690/88	397	01-02	श्रवण सांवता नैनू गोपाल पि. स्या मीना
		398	01-18	" "
		401मिन	01-00	" "
		393/472	02-16	" "
26.	692/88	399	00-18	भूरा पुत्र भोरिया मीना सा. देह
27.	695/88	281/422	01-06	मोती डालू पिता कुशाला 5/8 रामू पुत्र बुधा 1/8 भोरिया पुत्र श्योला 1/8 चन्दा पु. बृर्धा 1/8 कोम मीना सा. देह
28.	696/88	268/446	00-16	नारायण पु. श्योनारायण मीना सा. देह
29.	697/88	279/448	01-06	नारायण जगदीश रामेश्वर पि. नौन्दा 1/2 सीताराम पु. रामनाथ बरजी बेवा सोन्या 1/2 मीना.
30.	700/88	365/475	00-04	रामचन्द्र पु. गंगाबक्स कौम मीना
31.	702/88	399/501	00-01	रेवडराम श्री नारायण शंकरलाल नानूराम पिता घासी सीताराम पु. रामनाथ पु. नन्दा सोहन पु. लक्ष्मण/पु. चन्दा नारायण पु. श्योनारायण स्या भूरा पु. रामदेव मंगला भेमा नानगा पु. गंगाराममीना सा. देह
32.	672/88	337	00-07	हरिनारायण पु. जगन्नाथ कौम महाजन सा. देह
33.	654/88	321, 321	00-01 00-5	सियाराम

मुकदमा नम्बर 649/88 ख. न. 280 रकबा 03 बिस्वा ख. न. 280/477 रकबा 05 बिस्वा:

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख. न. 280 280/477 मंगला पुत्र रामू 3/16 गुल्ला बद्री पुत्र चन्दा 3/16 नाथू पु. भोरिया नारायण जगदीश रामेश्वर पु. नन्दा रमशी पत्र हुकमा बाबूलाल पु. प्रभु 3/16 जगदीश मन्नालाल पिता डालू नारायण

———5/पर———

कल्याण,गोपाल पि॰ मोती,महादेव पु॰ कुशला 3/16,लादू,भगवाना,नेन्चा पि॰ चन्दा,नारायण,छोटू,केलाश,राधेश्याम पि॰सात्या 1/2,जगदीश पु॰जगन्नार्थ 1/24 मीना सा॰देह के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान के नाम नोटिस दिनांक 9-5-91 को रजि॰ ए॰डी॰ जारी की लेकिन खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 13-6-91 को नवभारत टाइम्स एवं दैनिक नवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन कराया गया इसके उपरान्त भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। अत: उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर 652/88 ख॰न॰ 288 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा:

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख॰न॰ 288 नारायण पु॰ मोती 1/2 मोती, डालू पिता कुशला मीना 1/2 के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान के नाम नोटिस दिनांक 1-9-90 को जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा दिनांक 6-9-90 को तामिल कराये गये। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 7-3-90 को रजि॰ ए॰डी॰ जारी की गई फिर भी खातेदार/हितदार उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 13-6-91 को नवभारत टाइम्स एवं दैनिक नवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन कराया गया इसके उपरान्त भी खातेदारन/हितदारान उपस्थित नहीं हुये अत: उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर 653/88 ख॰न॰ 290 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा,ख॰न॰290/449 रकबा 01 बिस्वा:

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख॰न॰ 290 जगदीश पुत्र जमसी कोम मीना सा॰ , जयपुर के नाम पर दर्ज है। ख॰न॰ 290 /449 रमसी पुत्र हुकमा, बाबूलाल पुत्र प्रभू 1/3 नारायण, जगदीश, रामेश्वर पिता नन्दा 1/3, नाथू पुत्र भोरया 1/3 मीना के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदान/हितदारान को नोटिस दिनांक:7-9-90 को जारी किये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा दिनांक 16-9-90 को तामिल कराये गये। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 7-3-91 को नोटिस रजि॰ए॰डी॰ जारी की फिर भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 9-5-91 को पुन:तामिल नोटिस तामिल कुनिन्दा द्वारा तामिल कराये गये फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुये। तथा दिनांक 13-6-91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन कराया गया इसके उपरान्त भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये अत: उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नं0 654/88 ख.न. 292 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 302 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा:

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख.न. 292, 302 रामसहाय पुत्र नन्दा जगन्नाथ पुत्र नारायण जाति मीना सा. देह के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 केअन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 1.9.90 को जारी किये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा दिनांक 12-9-90 को तामिल कराये गये लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 7.3.91 को नोटिस रजि0 ऐ0डी0 द्वारा जारी की फिर भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 9.5.91 को पुनः जारी नोटिस तामिल कुनिन्दा द्वारा तामिल कराया लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। तथा दिनांक 13-6-91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन कराया गया इसके उपरान्त भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर 655/88 ख.न. 293 रकबा 15 बिस्वा, ख.न. 300 मिन रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा:

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 293, 300 मिन सीताराम, हनुमान पिता रामनाथ मीना सा. देह के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 केअन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 1.9.90 को जारी किये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा दिनांक 25.9.90 को तामिल कराया गया लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 7.3.91 को नोटिस रजि0ऐ0डी0 द्वारा जारी की फिर भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 13-6-91 को नवभारत टाइम्स व दैनिकनवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन कराया गया इसके उपरान्त भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर 658/88 ख.न. 395 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख.न. 395 श्रवण, सावता, नैनू, गोपाल पिता ल्यां मीना के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 1-9-90 को जारी किये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा दिनांक 22.9.90 को तामिल कराये गये। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 7.3.91 को नोटिस रजि0ऐ0डी0 द्वारा जारी की फिर भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 21-5-91 पुनः जारी नोटिस तामिल कुनिन्दा द्वारा तामिल कराया लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। तथा दिनांक 13-6-91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन कराया गया इसके उपरान्त भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। ---7/पर---

मुकदमा नम्बर 659/88 खसरा नम्बर 303 रकबा 01-15 बिस्वा :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख·न· 303 बाबूलाल श्यामलाल सुन्दर बंशी गोपी पिता गुल्ला कोम माली सा·देह के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 1·9·90 को जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा दिनांक 9·10·90 को तामिल कराया गया लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। दि0 7·3·91 को नोटिस रजिस्टर्ड ए0डी0 द्वारा जारी किये गये फिर भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 21-5-91 को पुन:जारी नोटिस तामिल कुनिन्दा द्वारा उनके परिवार के वयस्क सदस्य को तामिल कराया गया लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। तत्पश्चात दिनांक 13-6-91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन कराया गया इसके उपरान्त भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। अत: उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर 662/88 ख·न· 314 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा खसरा न·315 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा ख·न·316 रकबा 19 बिस्वा ख·न· 316/453 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 314 315 316 316/453 बोदू पुत्र रामदेव कोम ब्रा· सा·देह के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दि·1·9·90 को जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा दिनांक 20·9·90 को तामिल कराया गया। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 7·3·91 को नोटिस रजि0 ए0डी0 द्वारा जारी किये गये फिर भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 21·5·91 को पुन: जारी नोटिस तामिल कुनिन्दा द्वारा तामिल उनके परिवार के वयस्क सदस्य को कराया गया लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। तत्पश्चात दिनांक 13·6·91 को नवभारत-टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिसों का प्रकाशन कराया गया इसके उपरान्त भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। अत: उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर 665/88 ख·न· 323 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा ख·न·363 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा; खसरा नं0 368 रकबा 18 बिस्वा :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 323 हरदेव पुत्र साधु सांवता रामेश्वर रामनारायण पिता भगवाना बाबू लाल पुत्र महादेव मु·सं· माता पार्वती जाति मीना सा· देह के नाम पर दर्ज है। ख·न· 363 व 368 हरदेव पुत्र साधु सावता रामेश्वर पिता रामनारायण पिता भगवाना बाबूलाल पुत्र महादेव मु·संरक्षक माता पार्वती जाति मीना सा· देह के नाम पर दर्ज है। ——8/पर——

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 1·9·90 को जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा दिनांक 22·9·90 को तामिल कराया गया लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 7·3·91 को नोटिस रजिस्टर्ड ए०डी० द्वारा जारी किये गये फिर भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 25·5·91 को पुन: जारी नोटिस तामिल कुनिन्दा द्वारा तामिल चस्पा कराया गया। [illegible] लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। तत्पश्चात दिनांक 13·6·91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नये नोटिस का प्रकाशन कराया गया इसके उपरान्त भी खातेदार/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। अत: उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर 667/88 एवं 704/88 ख·न· 328 मिन 05 बिस्वा ख·न·341 01 बीघा 05 बिस्वा ख·न· 344 रकबा 01-बीघा 12 बिस्वा ख·न· 357 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा ख·न·376 मिन रकबा 1 बीघा ख·न· 380 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा ख·न· 362/462 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा ख·न· 362/463 रकबा 03 बीघा ख·न· 360/460 रकबा 05 बीघा :

धारा 6 के गजट नोटीफिकेशन में खसरा नम्बर 328 मिन 341 344 357 376 मिन 380 362/462 362/463 360/460 रामेश्वर दत्तक पुत्र लादू लादू पुत्र नाथू कौम मीना सा· देह के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधि-नियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 1·9·90 को जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा दिनांक 12·9·90 को तामिल कराया गयालेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 14·3·91 को नोटिस रजि०ए०डी० द्वारा जारी किये गये फिर भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 17·5·91 को पुन: जारी नोटिस तामिल कुनिन्दा द्वारा चस्पा कराया गया एवं उनके परिवार के वयस्क सदस्य को भी तामिल कराया गया लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। तत्पश्चात दिनांक 13·6·91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिसेज का प्रकाशन कराया गया इसके उपरान्त भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। अत: उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर 668/88 खसरा नम्बर 330 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा :

धारा 6 के गजट नोटीफिकेशन में खसरा नम्बर 330 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा गोविन्दराम घीसालाल पिता भोरिया 1/8 प्रताप गंगासहाय नारायण दामोदर बोदूराम पिता जगन्नाथ के 1/2 कालू पुत्र रामला 1/8 लादू पुत्र रणजीता 1/4 मीणा के नाम पर खातेदारी दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 1·9·90 को जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा दिनांक 1·10·90 को तामिल कराया गया लेकिन कोई उपस्थित

----9/पर----

नहीं हुये। दिनांक 7·3·91 को नोटिस रजिस्टर्ड ऐ०डी० द्वारा जारी किये गये फिर भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये । दिनांक 17·5·91 को पुन:जारी नोटिस तामिल कुनिन्दा द्वारा दिनांक 21·5·91 को चस्पा कराया गया लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। तत्पश्चात दिनांक 13·6·91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन कराया गया । इसके उपरान्त भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। अत: उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

<u>मुकदमा नम्बर 669/88 खसरा नं0 332 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा:</u>

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 332 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा कल्याण पुत्र सांवता रामचन्द्र पुत्र गंगाबक्स कौम मीना सा॰ देह के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 7·9·90 को जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा दिनांक 7·9·90 को तामिल कराये गये लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 13·3·91 को नोटिस रजि० ऐ०डी० द्वारा जारी किये गये फिर भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 17·5·91 को पुन: जारी नोटिस तामिल कुनिन्दा द्वारा चस्पा एवं परिवार के वयस्क सदस्य को तामिल कराये गये लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। तत्पश्चात दिनांक 13·6·91 को नवभारत टाइम्स व दैनिकनवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन कराया गया।इसके उपरान्त भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये । अत: उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाईगई।

मुकदमा नम्बर 670/88 खसरा नम्बर 335 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा खसरा नं 365/ 474 रकबा 02 बिस्वा :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 335 श्रवण पुत्र जीता 1/2 नानूलाल रूपनारायण पिता तोन्या 1/2 मीना सा॰ देह के नाम पर दर्ज है। खसरा नम्बर 365/474 श्रवण पुत्र जीता मीणा के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान /हितदारान को नोटिस दिनांक 7·9·90 को जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा दिनांक 7·9·90 को तामिल कराया गया लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 7·3·91 को नोटिस रजिस्टर्ड ऐ०डी० द्वारा जारी किये फिर भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 17·5·91 को पुन: जारी नोटिस तामिल कुनिन्दा द्वारा उनके परिवार के वयस्क सदस्य को तामिल कराये एवं चस्पा भी किया गया। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। तत्पश्चात दिनांक 13·6·91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन कराया गया । इसके उपरान्त भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। अत: उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

——10/पर——

मुकदमा नम्बर 671/88 खसरा नम्बर 336 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा ख॰न॰339 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा :

धारा 6 के गजट नोटीफिकेशन में खसरा नम्बर 336 339 गोविन्दराम घासीलाल पिता भैरु कालू पुत्र रामला 1/2 लादू पुत्र रणजीता 1/2 मीना सा॰ देह के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 11·12·89 जो रजिस्टर्ड ए॰डी॰ द्वारा जारी किये गये जो पते के अभाव में वापस लौट आई। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 9·2·90 को नोटिस जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा दिनांक 15·3·90 को तामिल कराये गये फिर भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 29·3·90 को नोटिस पुनः जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा दिनांक 13·8·90 को तामिल कराये गये लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 17·5·91 को पुनः नोटिस रजिस्टर्ड ए॰डी॰ जारी की फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुये तथा दिनांक 17·5·91 को पुनः नोटिस जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा उनके परिवार के वयस्क सदस्य को तामिल कराया गया लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। तत्पश्चात दिनांक 13·6·91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन कराया गया इसके उपरान्त भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर 673/88 खसरा नम्बर 340 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा खसरा नं॰336/457 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा :

धारा 6 के गजट नोटीफिकेशन में खसरा नम्बर 340 336/457 प्रताप गंगासहाय नारायण दामोदर बोदूराम पिता जगन्नाथ मीणा सा॰ देह के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 11·12·89 को रजिस्टर्ड ए॰डी॰ द्वारा जारी किये गये लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 9·2·90 को नोटिस जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा 15·3·90 को तामिल कराये गये लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 29·3·90 को पुनः नोटिस जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा दिनांक 8·8·90 को तामिल कराये गये लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 13·3·91 को नोटिस रजि॰ए॰डी॰ द्वारा जारी किये गये फिर भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 17·5·91 को पुनः नोटिस रजि॰ ए॰डी॰ द्वारा जारी किये गये फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 17·5·91 को पुनः नोटिस जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा उनके परिवार के वयस्क सदस्य को तामिल कराये गये एवं चस्पा कराया गया। इसके बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं हुये। तत्पश्चात दिनांक

13·6·91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन कराया गया। इसके उपरान्त भी खातेदारान/हितदारानउपस्थित नहीं हुये। अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर: 674/88 खसरा नम्बर 369 रकबा 14 बिस्वा ख·न· 370 रकबा 08 बिस्वा

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 369 370 कल्याण पुत्र सांवता रामचन्द्र पुत्र गंगाबक्स मीना सा· देह के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत [redacted] खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 7·2·90 को जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा दिनांक 22·9·90 को तामिल कराया गया लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 7·3·91 को रजिस्टर्ड ए०डी० द्वारा नोटिस जारी किये गये लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 20·4·91 को पुनः नोटिस जारी किये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा उनके परिवार के वयस्क [redacted] सदस्य को तामिल कराये गये। फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुये। तत्पश्चात दिनांक 13·6·91 को नवभारत टाइम्स एवं दैनिक नवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिसों का प्रकाशन कराया गया। इसके उपरान्त भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। अतः उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर: 677/88 खसरा नम्बर 349 रकबा 12 बिस्वा ख·न· 350 रकबा 04 बिस्वा खसरा नम्बर 351 रकबा 01 बिघा 06 बिस्वा:

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 349 350 351 मंगला रामकुंवर पिता धर्योदान के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 7·9·90 को जारी किये गये। जो तामिल कुनिन्दा द्वारा दिनांक 10·6·90 को तामिल कराये गये लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 7·3·91 को रजिस्टर्ड ए०डी० द्वारा नोटिस जारी किये गये फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 25·5·91 को नोटिस जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा हल्फिया रिपोर्ट के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को तामिल कराये गये। फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुये। तत्पश्चात दिनांक 13·6·91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन कराया गया। इसके उपरान्त भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर [redacted] 680/88 खसरा नं० 361 रकबा 01 बिस्वा :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 361 सांवता रामेश्वर रामनारायण पिता भगवाना बाबूलाल पुत्र महादेव हरनन्दा पुत्र साधु 1/4 रामचन्द्र पुत्र धर्योबक्स 3/8 रामचन्द्र पुत्र गंगाबक्स 1/8 मोरिया पुत्र रामदयाल मीना 1/4 के नाम पर दर्ज है।

———12पर———

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 15·9·90 को जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा मौके पर दिनांक 4·1·91 को चस्पा किया। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 7·3·91 को रजिस्टर्ड ए०डी० द्वारा नोटिस जारी किये गये फिर भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। तत्पश्चात दिनांक 13·6·91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन कराया गया। इसके उपरान्त भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर 682/88 खसरा नं0 365 रकबा 04 बिस्वा :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 365 नानूलाल,रूपनारायण पिता सोन्या 1/2 गिरधारी पुत्र लक्ष्मण मीना 1/2 सा· देह के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 15·9·90 को जारी किया गया जो तामिल कुनिन्दा द्वारा दिनांक 4·1·91 को मौके पर चस्पा कराये गये-लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 7·3·91 को रजिस्टर्ड ए०डी० द्वारा नोटिस जारी किये गये फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 25·5·91 को पुनः नोटिस जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा हलफिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितदारान को नोटिस तामिल कराये गये। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। तत्पश्चात दिनांक 13·6·91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन कराया गया। इसके उपरान्त भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर 683/88 ख·न· 366 रकबा01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा न0 374 मिन रकबा 06 बिस्वा:

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 366/374 मिन श्रवण पुत्र जोखा मीना सा·देह के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 7·9·90 को जारी किये गये। जो तामिल कुनिन्दा द्वारा दिनांक 1·10·90 को तामिल कराये गये। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 7·3·91 को खातेदारान/हितदारान को रजिस्टर्ड ए०डी० द्वारा नोटिस जारी किये गये लेकिन कोईउपस्थित नहीं हुये। दि0 25·5·91 को पुनः नोटिस जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा, हलफिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/दावेदारान को तामिल कराये गये। फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुये। तत्पश्चात दिनांक 13·6·91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति

------13/पर------

नवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन कराया गया। इसके उपरान्त भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर 686/88 ख॰न॰ 379 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, ख॰न॰ 380/467 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा, ख॰न॰380/468 रकबा 08 बीघा :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 379 , 380/467, 380/468 श्रवण पुत्र जीता 1/6, नानूलाल, रूपनारायण पिता सोन्या 1/6 , गिरधारी पुत्र लक्ष्मण 1/6, रामचन्द्र पुत्र गंगाबक्स 1/6, श्रवण पुत्र जीता 1/12, श्योदान पुत्र रामदेव 1/12 , कल्याण पुत्र सांक्ता 1/6 मोना के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 7·9·90 को जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा 1·10·90 को तामिल कराये गये। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 25·5·91 को खातेदारान/हितदरान को रजि॰ए॰डी॰ द्वारा नोटिस जारी किये गये फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 25·5·91 को नोटिस जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा हलफिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/दावेदारान को दिनांक 28·5·91 को तामिल कराये गये । फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुये। तत्पश्चात दिनांक 13·6·91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन कराया गया । इसके उपरान्त भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये । अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर 687/88 ख॰न॰391 मिन रकबा 04 बीघा ; ख॰न॰392 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा:

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 391 मिन, नारायण पुत्र गणेश 1/4, हनुमान पुत्र नान्गा 1/4 ,कानू पुत्र श्योनन्दा 1/4, जगदीश पुत्र धासी 1/4 मोना के नाम पर दर्ज है। खसरा नम्बर 392 लादू पुत्र गणेश 1/4 , कालू पुत्र श्योचन्दा 1/4 जगदीश पुत्र धासी 1/4, कल्याण पुत्र सालगा 1/4 मोना के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 11·12·89 को रजि॰ए॰डी॰ के द्वारा जारी किये गये जो पते के अभाव में वापस लौट आये। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 9·2·90 को नोटिस जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा की हलफिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितदारान को तामिल कराये गये लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 7·3·91 को रजि॰ए॰डी॰ द्वारा नोटिस जारी किये गये फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 25·5·91 को नोटिस जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा की हलफिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितदा-

14-4

हितदारान को दिनांक 28·5·91 को तामिल कराये गये। फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुये। तत्पश्चात दिनांक 13·6·91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन कराया गया। इसके उपरान्त भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। अतः उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर 688/88 ख·न· 393 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 393 लादू पुत्र गणेश मीना सा· देह के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 7·9·90 को जारी जारी किये गये। जो तामिल कुनिन्दा द्वारा दिनांक 1·10·90 को तामिल कराये गये लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 7·3·91 को खातेदारान/हितदारान को रजि० ऐ०डी० के द्वारा नोटिस जारी किये गये। फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुये। तत्पश्चात दिनांक 13·6·91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन कराया गया। इसके उपरान्त भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। अतः उनके विरुद्ध एक-तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर 689/88 खसरा नं0394 रकबा 17 बीघा 03 बिस्वा, ख·न· 402 मिन 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 80 413 मिन 2 बीघा 08 बिस्वा :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 394 व 413 जयराम पुत्र कुशाल हिस्सा 1/3, सेडिया पुत्र गंगाराम 1/3 घासी पुत्र तुलसा 1/3 ब्रा·सा· देह के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 402 मिन डालू, ग्यारसा व छोटू पिता रामदेव मीना सा· देह के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 9·2·90 को जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा दिनांक 14·3·90 को मौके पर चस्पा किया गया लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 29·3·90 को नोटिस जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा उनके परिवार के व्यस्क सदस्य को तामिल कराया गया। फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 14·3·91 को खातेदारान/हितदारान को रजि० ऐ०डी० द्वारा नोटिस जारी किये गये लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। तत्पश्चात दिनांक 13·6·91 को नवभारतटाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन कराया गया। इसके उपरान्त भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर 690/88 ख॰न॰397 रकबा 01 बोधा 02 बिस्वा, ख॰न॰398 रकबा 01 बोधा 18 बिस्वा, ख॰न॰401 मिन 01 बोधा, ख॰न॰ 393/472 रकबा 02 बोधा 16 बिस्वा:

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 397 ,398,401मिन,393/472 श्रवण,सांवता, नेनु ,गोपाल पिता रूपा मीना के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनीयम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 15.9.90 को जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा की हलफिया रिपोर्ट के अनुसार चस्पा किया गया।लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 7.3.91 को खातेदारान/हितदारान को रजि0 ऐ0डी0 के द्वारा नोटिस जारी किये गये फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुये । दिनांक 25.5.91 को नोटिस पुन: जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार उनके परिवार के वयस्क सदस्य को तामिल करायें गये लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ । तत्पश्चात दिनांक 13.6.91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिसेंका प्रकाशन कराया गया । इसके उपरान्त भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुआ। अत: उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर 692/88 ख॰न॰399 रकबा 18 बिस्वा:

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 399 भूरा पुत्र भोरिया मीना सा॰ देह के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदार/हितदार को नोटिस दिनांक 15.9.90 को जारी किया गया जो तामिल कुनिन्दा की हलफिया रिपोर्ट के अनुसार मौके पर/ दि॰4.1.91 को चस्पा किया गया। दिनांक 7.3.91 को खातेदार/हितदार को रजि0 ऐ0डी0 द्वारा नोटिस जारी किया गया फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात दिनांक 13.6.91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन कराया गया। इसके उपरान्त भी खातेदार/हितदार उपस्थित नहीं हुये। अत: उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर 695/88 खसरा नम्बर 261/422 रकबा 01 बोधा 06 बिस्वा :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 261/422 मोती,डालू पिता कुशला 5/8, रामु पुत्र बुद्धा 1/8 भोरिया पुत्र रयोला 1/8, चंदा पुत्र भूधा 1/8 कौम मीना सा॰ देह के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 15.9.90 को जारी किया गया जो तामिल कुनिन्दा की हलफिया रिपोर्ट के अनुसार उनके मकान पर दिनांक 4.1.91 को चस्पा किया गया लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये ,

-- 16/पर----

दिनांक 7·3·91 को खातेदारान/हितदारान को रजि०ए०डी० द्वारा नोटिस जारी किये गये फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुये। [illegible] दि० 25-5-91 को पुनः नोटिस जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा को हलफिया रिपोर्ट के दि 28·5·91 को नोटिस के अनुसार उनके परिवार के व्यस्क सदस्य को तामिल कराये गये एवं चस्पा भी किया गया लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। तत्पश्चात दिनांक 13·6·91 को नवभारत-टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन कराया गया। इसके उपरान्त भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर 696/88 खसरा नम्बर 268/446 रकबा 16 बिस्वा :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 268/446, नारायण पुत्र श्योनारायण मीना जा· देह के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारानको नोटिस दिनांक 15·9·90 को जारी किया गया जो तामिलकुनिन्दा की हलफिया रिपोर्ट के अनुसार मौके पर दिनांक 4·1·91 को तामिल कराया गया एवं [illegible] [illegible]। दिनांक 7·3·91 को खातेदार/हितदार को रजिस्टर्डए०डी० द्वारा नोटिस जारी किया गया लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात दिनांक 13·6·91 को खातेदार/हितदार को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन कराया गया। इसके उपरान्त भी खातेदार/हितदार उपस्थित नहीं हुये। अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर 697/88 खसरा नम्बर 279/448 रकबा 01बीघा 06 बिस्वा :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख·नं· 279/448 नारायण, जगदीश, रामेश्वर पिता नोन्दा 1/2, सीताराम पुत्र रामनाथ, बरजीबेवा, सोन्या 1/2 मीना के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 15·9·90 को जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा की हलफिया रिपोर्ट के अनुसार दि·4·1·91 को तामिल कराये गये। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 7·3·91 को खातेदारान/हितदारान को रजि० ए०डी० द्वारा नोटिस जारी किये गये फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 25·5·91 को पुनः नोटिस जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा की हलफिया रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 28·5·91 व 28·5·91 को नोटिस का चस्पा एवं खातेदारान/हितदारान को तामिल कराया गया लेकिन कोई उपस्थित नहीं।

नहीं हुये। तत्पश्चात दिनांक 13.6.91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन कराया गया। इसके उपरान्त भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर 700/88 ख.नं. 365/475 रकबा 04 बिस्वा:

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 365/475 रामचन्द्र पुत्र गंगाबक्स कौम मीना के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदार/हितदार को नोटिस दिनांक 15.9.90 को जारी किया गया जो तामिल कुनिन्दा की हलफिया रिपोर्ट के अनुसार नोटिस का चस्पा किया गया लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 7.3.91 को खातेदार/हितदार को रजि0 ए0डी0 द्वारा नोटिस जारी किया गया जिसे लेने से इंकार किया लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात दिनांक 13.6.91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन कराया गया। इसके उपरान्त भी खातेदार/हितदार उपस्थित नहीं हुआ। अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नं0 702/88 खसरा नं0 399/501 रकबा 01 बिस्वा:

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख.नं.399/501 रेवडराम, श्रीनारायण, शंकरलाल, नानूराम पिता घासी, सीताराम पुत्र रामनाथ पुत्र नन्दा सोहन पुत्र लक्ष्मण, भगवान पुत्र नन्दा नारायण पुत्र श्योनारायण, रूपा, भूरा, पुत्र रामदेव, मंगला पुत्र भैमा, नानगा पुत्र गंगाराम मीना सा. देह के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 15.9.90 को जारी किया गया जो तामिल कुनिन्दा की हलफिया रिपोर्ट के अनुसार स्वयं खातेदारों को तामिल कराये गये तथा अन्य खातेदारों के मकानों पर चस्पा किया गया लेकिन कोई उपस्थित उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 7.3.91 को खातेदारान/हितदारानको रजि0ए0डी0 के द्वारा नोटिस जारी किये गये फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 25.5.91 को पुनः नोटिस जारी किये गयेजो तामिल कुनिन्दा की हलफिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितदारान को तामिल कराये गये व अन्य खातेदारान/हितदारान को चस्पा कराया गया लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। तत्पश्चात दिनांक 13.6.91 को नवभारत टाइम्स व दैनिकनवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन कराया गया। इसके उपरान्त भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

18 प

मुकदमा नम्बर 672/88 खसरा नम्बर 337 रकबा 07 बिस्वा :-

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 337 हरिनारायण पुत्र लालनाथ कौम महाजन सा· देह के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 11·12·89 को रजिस्टर्ड ए०डी० द्वारा जारी किया गया जो पते के अभाव में वापस लौट आया। दिनांक 9·2·90 को नोटिस जारी किया जो तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितदारान को दिनांक 15·3·90 को तामिल कराये गये। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 2 3·90 को नोटिस जारी किये गये जो तामिलकुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार 10·8·90 को तामिल कराया गया लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 7·3·91 को पुनः खातेदारान/हितदारान को रजिस्टर्ड ए०डी० के द्वारा नोटिस जारी किये गये लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 17·5·91 को पुनः नोटिस जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा की हलफिया रिपोर्ट के अनुसार उनके परिवार के व्यस्क सदस्य को तामिल कराये गये। फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुये। तत्पश्चात दिनांक 13·6·91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन कराया गया। इसके उपरान्त भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर 694/88 खसरा नं0 231 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नं0321 रकबा 05 बिस्वा:

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 231, 321 सिवाय चक के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत तहसीलदार जयपुर को नोटिस दिनांक 7·6·91 को जारी किया गया। जिसको तामिलकुनिन्दा द्वारा दिनांक 18·6·91 को तामिल कराया गया लेकिन तहसीलदार एवं उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुये। इसलिए उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई। प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के0 पी0 मिश्रा का यह कथन है कि यह भूमि राजकीय होने के कारण स्वतः ही राज्य सरकार में निहित हो जाती है। अतः इसका अवार्ड पारित करने की आवश्यकता नहीं है। हम इस तर्क से सहमत हैं। अतः इस भूमि का अवार्ड पारित करने की आवश्यकता नहीं है। खसरा नम्बर 231, 321 रकबा 01 बिस्वा, 05 बिस्वा स्वतः ही निहित मानी जायेगी।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त मुकदमात सार्वजनिक नोटिस भी दिनांक 27.4.91 को जारी किया गया जो शामिल कुनिन्दा द्वारा 2.5.91 को सम्बन्धीत है तहसीलदार, पंचायत समिति नोटिस बोर्ड, ग्राम पंचायत, व सरपंच को दिये गये व चस्पा कराया गया।

मुआवजा निर्धारण :-
==============

जहां तक पृथ्वीराज नगर योजना में मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प-6(15)नविआ./87दि. 1.1.89 द्वारा मुआवजा की राशि निर्धारण करने के लिये राज्य सरकार द्वारा कमेटी का गठन शासन सचिव राजस्व विभाग की अध्यक्षता में किया गया था। लेकिन उक्त कमेटी द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में से किसी भी ग्राम के मुआवजा की राशि का निर्धारण नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र.क्र. 353-355 दिनांक 11.2.91 द्वारा शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर विकास आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण एवं सचिव जविप्रा. को भी निवेदन किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी में मुआवजा निर्धारण करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करा ली जाय। इसके उपरान्त समय समय पर आयोजित मिटिंग में भी मुआवजा निर्धारण के लिये निवेदन किया लेकिन कमेटी द्वारा कोई मुआवजा निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है।

इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में स्थित भूमि के किसी भी खातेदार को बुलाकर नेगोशियेसन नहीं किया गया है।

विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर जो निर्णय कृषि भूमि के मुआवजे निर्धारण के बारे में प्रतिपादित किये हैं उनमें कृषि भूमि के मुआवजे के निर्धारण का तरीका धारा- 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय रजिस्ट्रियों द्वारा उस क्षेत्र में पंजीयन दर के अनुसार निर्धारण माना गया है। पृथ्वीराज नगर योजना में धारा - 4 का गजट नोटिफिकेशन वर्ष 1988 को हुआ था (7.7.1988) इसीलिए विभिन्न मानीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में 7 जुलाई 1988 को विभिन्न उप पंजियकों के यहां पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र में भूमियों के रजिस्ट्रेशन की क्या दर थी उस पर विचार करने के लिये अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता है।

जहां तक उपरोक्त खसरा नम्बर के खातेदारान/हितदारान को मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है उपरोक्त सभी मामलों में एकतरफा कार्यवाही होने के कारण एवं खातेदारान/हितदारान द्वारा कोई क्लेम पेश नहीं करने के कारण खातेदारान

----20/पर--

/हितदारान की ओर से मुआवजे की राशि की मांग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

लेकिन नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के अनुसार इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण जिसके लिए भूमि अवाप्ति की जा रही है का भी पक्ष ज्ञात किया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव ने अपने पत्र क्रमांक टीडी आर/91/336 दिनांक 3.6.91 द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किया कि धारा- 4 के नोटिफिकेशन के समय ग्राम मोतावाला में 12,000/- रु० प्रति बीघा के अनुसार भूमियों का पंजीयन हुआ था इसलिए जहां तक उनके पक्ष का सम्बन्ध है यह दर उचित है।

हमने इस सम्बन्ध में उपपंजीयक एवं तहसीलदार ,तहसील,जयपुर के यहां से अपने स्तर भी जानकारी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि धारा-4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी। तहसीलदार(प्रथम) जविप्रा•ने अपने यू०ओ०नोट दिनांक 8.5.91 द्वारा उपपंजीयक जयपुर के यहां भी धारा-4 के गजट नोटिफिकेशन के समय जमीन की विक्रय दर यही बताई है।

लेकिन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र के आस-पास की भूमि की मुआवजा राशि 24,000/- रु० प्रतिबीघा की दर से अवार्ड जारी किये गये एवं जिनका अनुमोदन राज्य सरकार से भी प्राप्त हो चुका है। जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के०पी० मिश्रा ने कोई लिखित में उत्तर नहीं देकर मौखिक रूप से यह निवेदन किया है कि यदि मुआवजा राशि 24,000/-रु० प्रति बीघा की दर से तय की जाती है तो जयपुर विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि कुछ समय पूर्व भी इसी न्यायालय द्वारा इस भूमि के आस - पास के क्षेत्र में 24,000/- रु० प्रति बीघा की दर से अवार्ड पारित किये गये है।

अतः इस मामले में भी इस भूमि को मुआवजे की राशि 24,000/-रु प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित मानते हैं एवं हम यह भी मानते हैं कि धारा -4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की कीमत यही थी।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अवार्ड पारित करने के लिये दो वर्ष की समयावधि निश्चित है। लेकिन खातेदारान/हितदारान- को धारा - 9 व 10 के नोटिस तामिल कुनिन्दा रजि० ऐ०डी० एवं समाचार-पत्र में प्रकाशन के बाद भी उपस्थित नहीं होना व क्लेम पेश नहीं करना इस बात का द्योतक है कि वे अपना कोईपक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहते इसलिए एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जहाँ तक पेड़,पौधे, सड़कें,कुए एवं भूमि पर बने अन्य स्ट्रक्चर का प्रश्न है।

----21/इर---

खातेदारान द्वारा कोई नक्शा पेश नहीं किया गया और ना ही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदन नक्शे पेश किये गये हैं। ऐसी स्थिति में स्ट्रक्चर (यदि कोई हो) के मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा रहा है जिसका निर्धारण बाद में जविप्रा से तकनीकी अनुमोदित नक्शे प्राप्त होने पर विचार करके नियमानुसार निर्धारण किया जायेगा।

हम इस भूमि के मुआवजे का निर्धारण तो 24,000/- रु प्रति बीघा की दर से करते हैं लेकिन मुआवजे का भुगतान विधिक रूप से मालिकाना हक सम्बन्धी दस्तावेज पेश करने पर ही दिया जायेगा। मुआवजे का निर्धारण परिशिष्ट "ए" के अनुसार जो इस अवार्ड का भाग है के अनुसार निर्धारित किया जा रहा है।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23 (1-ए) एवं 23(2) के अन्तर्गत मुआवजे की उपरोक्त राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सोलिशियम एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि भी देय होगी जिसका निर्धारण परिशिष्ट "ए" में मुआवजे की राशि के साथ दर्शाया गया है।

अतिरिक्त निदेशक (प्रथम) एवं सक्षम अधिकारी नगर भूमि एवं भवन कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 916 दिनांक 31.5.91 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि पृथ्वीराज नगर योजना के समस्त 22 ग्राम जयपुर नगर संकुलन सीमा में सम्मिलित हैं एवं अलसर अधिनियम 1976 से प्रभावित है लेकिन उन्होंने यह सूचना नहीं दी है कि अलसर अधिनियम की धारा 10 (3) की अधिसूचना प्रकाशित करवा दी है अथवा नहीं ऐसी स्थिति में अवार्ड केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये जा रहे हैं।

अतः अवार्ड आज दिनांक : 18.6.91 को पारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी,
नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर।

संलग्न: परिशिष्ट "ए" गणना तालिका।

यह अवार्ड दिनांक 23/7/91 को राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ-6(13) [illegible]/87 पार्ट दिनांक 26/7/91 के द्वारा अनुमोदित होकर प्राप्त हुआ है। इस अवार्ड आज दिनांक 29/7/91 को [illegible] द्वारा [illegible] सम्बन्धित व्यक्ति को इस अवार्ड की एक प्रति [illegible] के लिए [illegible] 12(2) में [illegible] हो।

: परिशिष्ठ " ए " गणना तालिका ग्राम - मीनावाला :

क्र.सं.	मुकदमा नं0	खातेदार/हितदार	खसरा नं.	रकबा बी. बि.	मुआवजे की दर	मुआवजे की राशि	सोलेशियम 30 %	अतिरिक्त 12 %	कुल योग
1.	649/38	मंगला पु. रामु 3/16 गुला, बद्री पु. चन्दा 3/16 नाथु पु. भोरया नारायण, जगदीश, रामेश्वर, पु. नन्दा, रम्सी, पु. हुकुमा, बाबूलाल पु. प्रभु 3/16 जगदीश, मन्नालाल पि. डालु, नारायण, कल्याण, गोपाल पि. मोती, महादेव पु. कुशला 3/16, लादू, भावाना, नेथ्वा पि. चन्दा, नारायण, छोटू, कैलाश, राधेश्याम पि. सात्या 1/2, जगदीश पु. जगन्नाथ 1/24 मीना सा. देह	280	00-03					
		उपरोक्त	280/477	00-05					
				00-08	24,000/-	9,600/-	2,880/-	3,404/-	15,884/-
2.	652/88	नारायण पु. मोती 1/2 मोता, डालु पि. कुशला मीना 1/2	288	03-12	24,000/-	86,400/-	25,920/-	30,637/-	1,42,957/-

-----2/पर---

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.	653/88	जगदीश पु• जम्सी मोम							
		मीना सा• जयपुर	290	01-13	24,000/-	39,600/-	11,880/-	14,042/-	65,522/-
@.		रम्सी पु• हुक्मा, बाबूलाल							
		पु• प्रभु 1/2 नारायण,							
		जगदीश, रामेश्वर पि• नंदा							
		1/3 नाथू पु• भोरिया							
		1/3 मीना	290/449	00-01	24,000/-	1,200/-	360/-	426/-	1,986/-
4.	654/88	रामसहाय पु• नन्दा,							
		जगन्नाथ पु• नारायण,							
		जाति मीना सा• देह	292	00-15					
		उपरोक्त	302	01-06					
				02-01	24,000/-	49,200/-	14,760/-	17,446/-	81,406/-
5.	655/88	सीताराम, हनुमान, पिता							
		रामनाथ मीणा सा• देह	293	00-15					
		उपरोक्त	300 मिन	01-07					
				02-02	24,000/-	50,400/-	15,120/-	17,372/-	83,391/-

क्रमशः—3/पर—

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.	658/88	श्रवण, सांवता, नैनू, गोपाल पि॰ रूपा मीना	395	01-07	24,000/-	32,400/-	9,720/-	11,489/-	53,609/-
7.	659/88	बाबू, श्यामलाल, सुन्दर, बंशी, गोपी पि॰ गुल्ला कौम माली सा॰ देह	303	01-05	24,000/-	42,000/-	12,600/-	14,893/-	69,493/-
8.	662/88	बोदू पु॰ रामदेव कौम ब्रा॰ सा॰ देह	314	01-19					
		उपरोक्त	315	02-13					
		"	316	00-19					
		"	316/453	01-03					
				06-14	24,000/-	1,60,800/-	48,240/-	57,019/-	2,66,059/-
9.	665/88	हरनन्दा पु॰ साधू, सांवता, रामेश्वर, रामनारायण, सि भगवाना, बाबूलाल पु॰ महादेव मु॰ स॰ माता पार्वती जा॰ मीना सा॰ देह	323	03-04	24,000/-	76,800/-	23,040/-	27,233/-	1,27,073/-

क्रमशः :——4/पा——

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		उरदेव पु•साधु,सावता,							
		रामेश्वर पि•रामनारायण							
		पि•भगवाना,बाबूलाल पु•							
		महादेव मु•सरक्षक माता							
		पार्वती मीना सा•देह	363	02-02					
		उपरोक्त	363	00-18					
				03-00	24,000/-	72,000/-	21,600/-	25,531/-	1,19,131/-
10.	667/88	रामेश्वर दत्तक पु•लादू पु•							
	एवं	नाथू कीन मीना सा•देह	323 मिन	00-05					
	704/88	उपरोक्त	341	01-05					
		•	344	01-12					
		•	357	02-11					
		•	376 मिन	01-00					
		•	380	01-10					
		•	362/462	01-01					
		•	362/463	03-00					
		•	360/460	05-00					
				17-04	24,000/-	4,12,800/-	1,23,840/-	1,46,379/-	6,83,019/-

क्रमशः ----5/पर----

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	663/33	गोविन्दराम, घांसालाल, पि. भोरिया 1/3 प्रताप, गंगासहाय, नारायण, दामोदर, मोदूराम पि. जगन्नाथ 1/2, जग्गु पु. रामला 1/3 लादू पु. रणजीता 1/4 मीना	330	03-05	24,000/-	78,000/-	23,400/-	27,659/-	1,29,059/-
12.	669/38	कल्याण पु. नाथूता; रामचन्द्र पु. गंगाबक्स जोम मीना सा. देव	332	01-17	24,000/-	44,400/-	13,320/-	17,744/-	73,464/-
13.	670/38	रूपा पु. जोला 1/2 नानूलाल, रूपनारायण पि. सोन्या 1/2 मीना सा. देव	335	01-13	24,000/-	39,600/-	11,880/-	14,042/-	65,522/-
00.		रूपा पु. जोता मीणा	365/474	00-02	24,000/-	2,400/-	720/-	851/-	3,971/-
14.	671/38	गोविन्दराम, घासीलाल पि. भैरू, कालु पु. रामला 1/2 लादू पु. रणजीता 1/2 मीना सा. देव	336	01-03					
		उपरोक्त	339	01-07					
				02-10	24,000/-	60,000/-	18,000/-	21,276/-	99,276/-

	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
15.	673/88	प्रताप, गंगासहाय, नारायण, दामोदर, बोदूराम पि• जगन्नाथ मीणा सा• देह	340	01-08					
		उपरोक्त	336/457	01-04					
				02-12	24,000/-	62,400/-	18,720/-	22,127/-	1,03,247/-
16.	674/88	कल्याण पु• सांवता, रामचन्द्र पु• गंगाबक्स मीना सा• देह	369	00-14					
		उपरोक्त	370	00-08					
				01-02	24,000/-	26,400/-	7,920/-	9,361/-	43,681/-
17.	677/88	मोला, रामकुंवर पि• श्योदान	349	00-12					
		उपरोक्त	350	00-04					
		•	351	01-06					
				02-02	24,000/-	50,400/-	15,120/-	17,872/-	83,392/-
18.	680/88	सांवता, रामेश्वर, रामनारायण पि• भगवाना, बाबूलाल पु• महादेव हरनंद पु• साहू 1/4 रामचन्द्र पु• श्योबक्स 3/8 रामचन्द्र पु• गंगाबक्स 1/8 भोरिया पु• रामपाल मीना 00• 1/4	361	00-01	24,000/-	1,200/-	360/-	426/-	1,986/-

-7/पर-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
19.	682/88	नानूलाल, रूपनारायण, पि॰सोन्या							
		1/2 गिरधारी पु॰लक्ष्मण मीना							
		1/2 सा॰देह	365	00-04	24,000/=	4,800/-	1,440/-	1,702/-	7,942/-
20.	683/88	श्रवण पु॰जीता मीणा सा॰देह	366	01-01					
		उपरोक्त	374मिन	00-06					
				01-07	24,000/-	32,400/-	9,720/-	11,339/-	53,609/-
21.	686/88	श्रवण पु॰जीता 1/6							
		नाथूलाल, रूपनारायण, पिता							
		सोन्या 1/6 गिरधारी पु॰							
		लक्ष्मण 1/6 रामचन्द्र पु॰गंगा-							
		बक्स 1/6 श्रवण पु॰जीता 1/12							
		श्योदान पु॰रामदेव 1/12कल्याण							
		पु॰सावता 1/6 मीना	379	02-01					
		उपरोक्त	380/467	04-05					
			380/468	08-00					
				14-06	24,000/-	3,43,200/-	1,02,960/-	1,21,699/-	5,67,859/-
22.	687/88	नारायण पु॰गणेश 1/4							
		हनुमान पु॰नानगा 1/4							
		नानू, पु॰श्योनन्दा जगदीश, पु॰घासी 1/4 मीना	391 मिन	04-00	24,000/-	96,000/-	28,800/-	34,042/-	1,58,842/-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		लादू पु.गणेश 1/4 पाडु पु.श्योचन्दा 1/4 जगदीश पु.घासी 1/4 कल्याण पु.सालगा 1/4 मीना	392	03-01	24,000/-	73,200/-	21,960/-	25,957/-	1,21,117/-
23.	688/88	लादू पु.गणेश मीना सा.देह	393	02-17	24,000/-	68,400/-	20,520/-	24,255/-	1,13,175/-
24.	689/88	जयराम पु.ज्ञाल 1/3 सेडिया पु.गंगाराम 1/3 घासी पु. तुलसा 1/3 ब्राहमण सा.देह	396	17-03					
		उपरोक्त	413	00-14					
				17-17	24,000/-	4,28,400/-	1,28,520/-	1,51,910/-	7,08,830/-
		डालू, ग्यारसा व छोटू पि. रामदेव मीणा सा.देह	402	00-16	24,000/-	19,200/-	5,760/-	6,808/-	31,768/-
25.	690/88	श्रवण, सांवता, नैनू, गोपाल पिता रूपा मीना	397	01-02					
		उपरोक्त	398	01-18					
		"	401मिन	01-00					
		"	393/472	02-16					
				06-16	24,000/-	1,63,200/-	48,960/-	57,871/-	2,70,031/-
26.	692/88	धूरा पु.भोंरिया मीणा सा. देह	399	00-18	24,000/-	21,600/-	6,480/-	7,659/=	35,739/-

-----9/पर-----

1.	2.	3.	4.	5.	6	7.	8.	9.	10.
27.	695/88	मोती, डालू, पि. भूराला 5/8 रामू पु. बुद्धा 1/8 भोरया पुत्र श्योला 1/8 चन्दा पु. बृथा 1/8 कौम मीना सा. देह	281/422	01-06	24,000/-	31,200/-	9,360/-	11,064/-	51,624/-
28.	696/88	नारायण पु. श्योनारायण मीना सा. देह	268/446	00-16	24,000/-	19,200/-	5,760/-	6,808/-	31,768/-
29,	697/88	नारायण, जगदीश, रामेश्वर, पिता नोन्दा 1/2 सीताराम पु. रामनाथ, दरजो बेवा, सोन्या 1/2 मीना	279/448	01-06	24,000/-	31,200/-	9,360/-	11,064/-	51,624/-
30.	700/88	रामचन्द्र पुत्र गंगाबक्स कौम मीना	365/475	00-04	24,000/-	4,800/-	1,440/-	1,702/-	7,942/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	702/88	गेन्दाराम, धीमनारायण, शंकरलाल नानूराम पि. छीतो, सीताराम पु. रामनाथ, कुन्दा, सोहन पु. लक्ष्मण, भगवाना पु. दन्दा नारायण पु. रामेनारायण, रूपा, भूरा पु. रामदेव, मंगला पु. भेमा, नानगा पु. मंगलाराम मीना जा. सा. देह	399/501	00-02	24,000/-	2,400/-	720/-	851/-	3,971/-
32.	672/88	हरिनारायण पु. जगन्नाथ कौम महाजन सा. देह	337	00-07	24,000/-	8,400/-	2,520/-	2,979/-	13,899/-

नोट:- (1) सोलेशियम 30 प्रतिशत कॉलम नम्बर 8 पर मुआवजा राशि पर दिया गया है।

(2) अतिरिक्त राशि 12 प्रतिशत की गणना धारा 4(1) का गजट दिनांक 7.7.88 से 20.6.91 तक की गई है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी